न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 02 / 2019 **दायर दिनांकः 15 / 04 / 2019**

उनवान

1. दीपू आयु 35 वर्ष पुत्री राधेश्याम पत्नि मनीष जाति ब्राहमण निवासी सांगोद जिला कोटा (राज०)
2. लक्ष्मी उर्फ मनोहर बाई आयु 40 वर्ष पुत्री राधेश्याम पत्नि राधेश्याम जाति ब्राहमण निवासी केशोराय पाटन राज0।

अपीलान्टस्

बनाम

1. सरपंच / सचिव महोदय ग्राम पंचायत दीलोद हाथी पंचायत समिति अटरू जिला बारां राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0) ।

रेस्पोडेन्टस्

अपील अन्तर्गत धारा 75 (डी) राज0 ले0रे0 एक्ट

उपस्थिति :—

वादीगण :—विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

प्रतिवादीगण :— विद्वान अभिभाषक पेरोकार सरकार।

आदेश

दिनाकः 28 / 07 / 2021

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि अपीलान्टस् ने यह अपील अर्न्तगत धारा 75 (डी) राज0 ले0रे0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि इन्तकाल नं0 150 दिनांक 28.07.1998 ग्राम पंचायत दीलोद हाथी गैर कानूनी होने से काबिल खारिज फरमाया जावें। ग्राम पंचायत दीलोद हाथी द्वारा वक्त इन्तकाल तस्दीक करते वक्त पटवार हल्का दीलोद हाथी द्वारा मृतक रूघनाथ के वारिसान ने अपीलान्टस् की मॉ धापू बाई का नाम दर्ज करने के उपरान्त मॉ अपीलान्टस् की धापूबाई का नाम अवैधानिक रूप से इन्तकाल में से काट दिया गया। जबकि धापूबाई मर चुकी थी तो उसके वारिसान अपीलान्टस् का नाम दर्ज करना चाहिए था इसलिए उक्त इन्तकाल नं0 150 विरूद्ध कानून है। इन्तकाल नं0 150 धापूबाई का मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिसान प्रमाण पत्र साथ संलग्न है। ग्राम दीलोद हाथी की पुराने खाता संख्या 192 का 5 किता का रकबा 2.83 है0 बाबूलाल पुत्र छीतर,

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:36:18 IST
Reason: SelfAttested

रूघनाथ पुत्र माधो के व पुराने खाता संख्या 294 का 7 किता का रकबा 5.37 है0 भूमि रूघनाथ पुत्र माधो, पुष्पा जोजे केशरीलाल जाति ब्राहमण सा0 देह हिस्सा बराबर दर्ज खाता थी जो इन्तकाल नं0 150 में स्पष्ट रूप से दर्ज है। नकल जमाबन्दी नवीन संख्या 286 व खाता संख्या 359 साथ में संलग्न है। वक्त रूघनाथ का इन्तकाल तस्दीक करते वक्त पटवार हल्का द्वारा दौरान जांच रिपोर्ट में धापूबाई (फौत) लिखा हुआ था तथा सरपंच ने इन्तकाल में नाम लिखकर उसे काट दिया है जिसकी कटिंग इन्तकाल नं0 150 में स्पष्ट रूप से है जो काबिल गौर है। अपीलान्टस इन्तकाल नं0 150 दिनांक 28.07.1998 ग्राम पंचायत दीलोद हाथी गैर कानूनी एवं अवैधानिक होने से अपीलान्टस् खाता संख्या 286 की कुल 5 किता का रकबा 2.83 है0 तथा खाता संख्या 359 की कुल किता 7 का रकबा 5.37 है0 में अपीलान्टस् का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करवाने के अधिकारी है। जिसे बिना माननीय न्यायालय की सहायता के दर्ज करवाया जाना संभव नही है। अपीलान्टस् ने के0सी0सी0 ऋण लेने हेतु पटवार हल्का दीलोद हाथी से दिनांक 05.02.2019 को जमाबन्दीयों की नकल मांगी तब पटवार हल्का द्वारा खाते मे अपीलान्टस् की मॉ का नाम नहीं होने की जानकारी दी गई तथा जमाबन्दी की प्रतियॉ व इन्तकाल नं0 150 की नकल प्राप्त की। दिनांक 05.02.2019 से अपील अन्दर मियाद माननीय न्यायालय में पेश की गई है। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पृथक से साथ में पेश किया गया है। अपील अवधि मध्य उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर अपीलान्टस् निवेदन करते है कि अपील अपीलान्टस् स्वीकार फरमाई जाकर इन्तकाल नं0 150 दिनांक 28.07.1998 ग्राम पंचायत दीलोद हाथी खारिज फरमाया जाकर खाता संख्या 286 का कुल 5 किता का रकबा 2.83 है0 तथा खाता संख्या 359 का कुल 7 किता का रकबा 5.37 है0 में अपीलान्टस् का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज किये जाने के आदेश रेस्पोडेन्ट कम 2 को प्रदान करने की कृपा करें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी कम 1 को सूचना उपस्थित नही होने के कारण एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी कम 2 द्वारा उपस्थित होकर पेश न करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 16:56:18 IST
Reason: SelfAttested

अभिभाषक अपीलान्टस् की एक तरफा बहस सुनी अभिभाषक अपीलान्टस ने वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया और कथन किया कि इन्तकाल नं0 150 दिनांक 28.07.1998 ग्राम पंचायत दीलोद हाथी खारिज फरमाया जाकर खाता संख्या 286 का कुल 5 किता का रकबा 2.83 है0 तथा खाता संख्या 359 का कुल 7 किता का रकबा 5.37 है0 में अपीलान्टस् का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज किये जावें पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2072–2075 ग्राम दीलोद हाथी की पुराने खाता संख्या 192 का 5 किता का रकबा 2.83 है0 बाबूलाल पुत्र छीतर, रूघनाथ पुत्र माधो के व पुराने खाता संख्या 294 का 7 किता का रकबा 5.37 है0 भूमि रूघनाथ पुत्र माधो, पुष्पा जोजे केशरीलाल जाति ब्राहमण सा0 देह हिस्सा बराबर दर्ज खाता थी जो इन्तकाल नं0 150 में स्पष्ट रूप से दर्ज है।

अतः हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत 1998 में पैतृक संपत्ति में पुत्रियों का हिस्सा दिया जाना आवश्यक नही था लेकिन यदि दो पुत्रियों को हिस्सा दिया जाये और एक पुत्री को छोड दिया जाए यह नियम विरूद्ध है। ग्राम पंचायत दीलोद हाथी को नामा0 तस्दीक करते समय तीनो पुत्रियों का नाम मृतक पिता की पैतृक संपत्ति में दर्ज रिकार्ड किया जाना चाहिए था।

अतः अपीलार्थी/ प्रार्थीगण की अपील स्वीकार कर नामा0 150 दिनांक 28.07.1998 अपास्त किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्टस् की अपील अन्तर्गत धारा 75 (D) आर0टी0एक्ट स्वीकार योग्य है। अतः अपीलान्टस् की अपील स्वीकार की जाती है। इन्तकाल नं0 150 दिनांक 28.07.1998 ग्राम पंचायत दीलोद हाथी खारिज किया जाता है। तथा अपीलान्टस् खाता संख्या 286 की कुल 5 किता का रकबा 2.83 है0 तथा खाता संख्या 359 की कुल किता 7 का रकबा 5.37 है0 में अपीलान्टस् दीपू पुत्री राधेश्याम व लक्ष्मी उर्फ मनोहर बाई पुत्री राधेश्याम को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 28/07/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:36:18 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां